

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 290/2021

अनवान मुकदमा -

1. जगदीश पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. ख्यालीराम पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. मदनलाल पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. जैन कुमार पुत्र स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. जीत कुमार पुत्र स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. रामप्रताप पुत्र बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. संदीप कुमार पुत्र बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
8. प्रहलाद पुत्र रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
9. लेखराम पुत्र रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. विद्या देवी पुत्री कालूराम पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. पालोदेवी पुत्री कालूराम पत्नी सुल्तान जाति जाट साकिन मोजगढ तहसील डबबाली जिला सिरसा हरियाणा।
3. दर्शना देवी पुत्री कालूराम पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन मलोट तहसील मलोट।
4. फुलवन्ती पुत्री कालूराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सावित्री पत्नी स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. शिमला पुत्री स्व. लालचन्द पत्नी रविन्द्र जाति जाट साकिन गठड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. विधा देवी पत्नी स्व. बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
8. मंजु पुत्री स्व. बिरबल पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन भांखरावाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
9. संतोष पुत्री स्व. बिरबल पत्नी राममूर्ति जाति जाट साकिन रामपुरिया ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

22/06/2021

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

10. चंदो देवी पत्नी स्व. रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. चन्द्रमुखी पुत्री स्व. रायसिंह पत्नी दलवीर जाति जाट साकिन भरूटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
12. हरफुल पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. हसंराज पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. रामेती पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. सीता देवी पुत्री सहीराम पत्नी महावीर जाति जाट कासनियां साकिन दुधवाली ढाणी
16. कमला देवी पुत्री सहीराम पत्नी राजेन्द्र तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. रानी पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
18. अनुज पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. किरण पुत्री महेन्द्र पत्नी सुदेश जाति जाट गोदारा साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
20. मनीषा पुत्री महेन्द्र पत्नी अनिल जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
21. शिवानी पुत्री महेन्द्र पत्नी सुनील जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
22. सावित्री पत्नी गोपीराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
23. सुभाष पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
24. संतोष पुत्री गोपीराम पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
25. सुलोचना पुत्री गोपीराम पत्नी पृथ्वीराम जाति जाट साकिन बणी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
26. गंगा देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
27. तीर्थराज पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
28. देवेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
29. लाभाराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
30. भागवन्ती पुत्री हेतराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
31. रोशनी पुत्री हेतराम पत्नी पृथ्वी जाति जाट साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

22/06/2022  
 सहायक क्लर्क एव  
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

32. भागवन्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
33. उग्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
34. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
35. सावित्री पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
36. रणजीत पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
37. सुरजीत पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
38. जानकी पुत्री बृजलाल पत्नी हसंराज जाति जाट साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
39. कैलाश पुत्री बृजलाल पत्नी सतवीर जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
40. गणेशाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
41. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता --- वादीगण
2. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 41

-:: निर्णय :-

दिनांक -22/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो उक्त वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 की पारिवारिक वंशावली पेश की गई है।

वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के खाता सं. 61/44 के प.नं. 59/340 (25) किला नं. 1 ता 19, 20/1, 21/2, 22 ता 25, प.नं. 60/339 (21) किला नं. 1/1 ता 25, प.नं. 60/340 (26) किला नं. 1 ता 25/2, प.नं. 60/341 (31) किला नं. 1 ता 25 इस प्रकार कुल 25.024 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 46 एनडीआर सं. 2074 से 2077 सलगन वाद पत्र की गई है।

उक्त कृषि भूमि की सह खातेदार उमा देवी पत्नी कालूराम का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2013 को हो चुका है। जिनके वारीस वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 है। रायसिंह पुत्र कालूराम की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारीस वादी सं. 8, 9 व प्रतिवादी सं. 10, 11 है। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र उमा देवी व रायसिंह व वारीसनामा उमा देवी सलगन वाद पत्र की गई है।



सहायक कमिश्नर एवं  
उप-अधीकारी पीलीबंगा

वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि हमारे बुजुर्ग कालूराम, भादरराम दोनो भाईयो की भूमि है। ये दोनो फौत हो चुके है। कालूराम के बारीसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 है तथा भादरराम के बारीसान प्रतिवादी सं. 12 ता 40 है। ये दोनो भाई अपने जीवनकाल में उक्त भूमि अलग अलग काशत करते रहे है। कालूराम प.न. 60/339 व 60/341 की 12.650 हैक. मय खाला तथा भादरराम प.नं. 59/340, 60/340 की 12.374 हैक. भूमि पर काबिज होकर काशत करते है। कालूराम के हिस्सा व कब्जा काशत की 12.650 हैक. भूमि उनके 6 पुत्र लालचन्द - बिरबल - रायसिंह - जगदीश - ख्यालीराम - मदनलाल काशत करते रहे है। अब वादीगण काबिज होकर काशत कर रहे है। श्री कालूराम व उमा देवी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। उन्होने इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं लिया। प्रतिवादी सं. 10, 11 ने अपना हिस्सा वादी सं. 8, 9 के पक्ष में छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रशनगत भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 11 का कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिये इस प्रशनगत भूमि में 12.650 हैक. भूमि के वादीगण खातेदार काशतकार हुए। इस 12.650 हैक. भूमि में वादी सं. 1 ता 3 का 3/6 हिस्स ब.हि.ब., वादी सं. 4, 5 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., वादी सं. 6, 7 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., वादी सं. 8, 9 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार है। प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि मृतक उमा देवी व रायसिंह एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिससे वादीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण घोषणा पाने के हकदार है।

प्रशनगत भूमि का काफी समय से अच्छी मंदा व काशत की सहूलियत के हिसाब से निम्न प्रकार घरू बंटवारा किया हुआ है -

क. वादी सं.1 जगदीश -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/063, प.नं. 60/341 किला नं. 6 ता 10/1.265, 11/1.126, 14-15/1.506, 20/1.127 की 2.024 हैक. कुल 2.087 हैक. भूमि।

ख. वादी सं.2 ख्यालीराम -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/026, 23/038 की 0.064 हैक., प.नं. 60/341 किला नं. 1 ता 5/1.265, 11/1.127, 12-13/0.506, 20/1.126 की 2.024 हैक. कुल 2.088 हैक. भूमि।

ग. वादी सं.3 मदनलाल -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 5/11.228, 5/2/0.025 खाला, 6-15-16/1.759, 23/1.101, 25/1.240 की 1.353 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 19, 24, 25 की 0.759 हैक. भूमि कुल 2.112 हैक. मय खाला भूमि।

घ. वादी सं. 4, 5 जैन कुमार - जीतकुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 1/11.228, 1/2/0.025 खाला, 10-11/1.506, 12/1.126, 19-20-21/1.759, 22/0.063, 23/0.013, 24/0.013, 25/0.013 की 1.746 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 16/1.253, 17/1.127 की 0.380 हैक. कुल 2.126 हैक. मय खाला भूमि।

ङ. वादी सं. 6, 7 रामप्रताप - संदीप कुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 2/11.228, 2/2/0.025 खाला, 3/11.228, 3/2/0.025 खाला, 8-9/1.506, 12/1.127, 13-18/1.506, 22/1.101 की 1.746 हैक. मय खाला, प.नं. 60/341 किला नं. 17/1.126, 18/1.253 की 0.379 हैक. कुल 2.125 हैक. मय खाला भूमि।

12/06/2021  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

च. वादी सं. 8, 9 प्रहलाद - लेखराम ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 4/1/228, 4/2/0. 025 खाला, 7-14-171.759, 23/101, 24/240 की 1.353 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 21-22-23/759 हैक. कुल 2.112 हैक. मय खाला भूमि।

इसी प्रकार से वादीगण वर्षों से अलग अलग काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में खाता अभी सांझा है। जिस कारण पक्षकारों के मध्य सीव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं।

सह खातेदार ओमप्रकाश फौत हो चुके हैं जिनके वारीस प्रतिवादी सं. 32, 33, 34 हैं। गोपीराम फौत हो चुके हैं उनका एक पुत्र रामकुमार भी फौत हो चुका है। इनके वारीस प्रतिवादी सं. 22 से 28 हैं। बृजलाल भी फौत हो चुके हैं इनके वारीस प्रतिवादी सं. 35 से 39 हैं। महेन्द्र भी फौत हो चुके हैं उनके वारीस प्रतिवादी सं. 17 से 21 हैं। हेतराम भी फौत हो चुके हैं जिनके वारीस प्रतिवादी सं. 29, 30, 31 हैं। वादीगण की जानकारी में इनके जो वारीस हैं उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण के हक हिस्सा की भूमि की घोषणा व खाता विभाजन करवाते हुए राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अंकित करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 10 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

प्रतिवादी सं. 41 के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नहीं है परन्तु वह भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

क. घोषित किया जावे कि वादपत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादपत्र की दफा 6 मुताबिक वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। उमा देवी, रायसिंह व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 का नाम कल्मजन किया जावे। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

ख. वाद पत्र की दफा 6 की उपदफा क से च अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 1 ता 9 व प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 ता 11 दिनांक 29.11.2021 को न्यायालय में हाजिर आये। वादी संख्या 1 ता 9 व प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 ता 11 द्वारा द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि उनमें राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 13, 14, 17, 19, 25, 40 के द्वारा इकबाल दावे पेश किये गये जिन्हे शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ता 38, 39 को सम्मन तामिल होने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ता 38, 39 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178

22/06/2021

सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

-:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि राजीनामा एवं इकबाल दावों के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादी सं.1 जगदीश -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/063, प. नं. 60/341 किला नं. 6 ता 10/1.265, 11/1.126, 14-15/1.506, 20/1.127 की 2.024 हैक्. कुल 2.087 हैक्. भूमि।

ख. वादी सं.2 ख्यालीराम -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/026, 23/038 की 0.064 हैक्., प.नं. 60/341 किला नं. 1 ता 5/1.265, 11/1.127, 12-13/0.506, 20/1.126 की 2.024 हैक्. कुल 2.088 हैक्. भूमि।

ग. वादी सं.3 मदनलाल -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 5/1/1.228, 5/2/0.025 खाला, 6-15-16/1.759, 23/1.101, 25/1.240 की 1.353 हैक्. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 19, 24, 25 की 0.759 हैक्. भूमि कुल 2.112 हैक्. मय खाला भूमि।

घ. वादी सं. 4, 5 जैन कुमार - जीतकुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 1/1/1.228, 1/2/0.025 खाला, 10-11/1.506, 12/1.126, 19-20-21/1.759, 22/063, 23/013, 24/013, 25/013 की 1.746 हैक्. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 16/1.253, 17/1.127 की 0.380 हैक्. कुल 2.126 हैक्. मय खाला भूमि।

ङ. वादी सं. 6, 7 रामप्रताप - संदीप कुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 2/1/1.228, 2/2/0.025 खाला, 3/1/1.228, 3/2/0.025 खाला, 8-9/1.506, 12/1.127, 13-18/1.506, 22/1.101 की 1.746 हैक्. मय खाला, प.नं. 60/341 किला नं. 17/1.126, 18/1.253 की 0.379 हैक्. कुल 2.125 हैक्. मय खाला भूमि।

च. वादी सं. 8, 9 प्रहलाद - लेखराम ब.हि.ब. -


तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 4/1/1.228, 4/2/0.025 खाला, 7-14-17/1.759, 23/1.101, 24/1.240 की 1.353 हैक्. मय खाला

22/06/2022  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 21-22-23/759 हैक्. कुल 2.112 हैक्. मय खाला भूमि।

प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व उमा देवी, रायसिंह का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

  
(रणजीत कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई  
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 290/2021

अनवान मुकदमा -

1. जगदीश पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. ख्यालीराम पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. मदनलाल पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. जैन कुमार पुत्र स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. जीत कुमार पुत्र स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. रामप्रताप पुत्र बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. संदीप कुमार पुत्र बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
8. प्रहलाद पुत्र रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
9. लेखराम पुत्र रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. विद्या देवी पुत्री कालूराम पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. पालोदेवी पुत्री कालूराम पत्नी सुल्तान जाति जाट साकिन मोजगढ तहसील डबबाली जिला सिरसा हरियाणा।
3. दर्शना देवी पुत्री कालूराम पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन मलोट तहसील मलोट।
4. फुलवन्ती पुत्री कालूराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सावित्री पत्नी स्व. लालचन्द जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. शिमला पुत्री स्व. लालचन्द पत्नी रविन्द्र जाति जाट साकिन गठड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. विधा देवी पत्नी स्व. बिरबल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
8. मंजु पुत्री स्व. बिरबल पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन भांखरावाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

23/06/2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

9. संतोष पुत्री स्व. बिरबल पत्नी राममूर्ति जाति जाट साकिन रामपुरिया ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
10. चंदो देवी पत्नी स्व. रायसिंह जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. चन्द्रमुखी पुत्री स्व. रायसिंह पत्नी दलवीर जाति जाट साकिन भरूटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
12. हरफुल पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. हसंराज पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. रामेती पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. सीता देवी पुत्री सहीराम पत्नी महावीर जाति जाट कासनियां साकिन दुधवाली ढाणी
16. कमला देवी पुत्री सहीराम पत्नी राजेन्द्र तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. रानी पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
18. अनुज पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. किरण पुत्री महेन्द्र पत्नी सुदेश जाति जाट गोदारा साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
20. मनीषा पुत्री महेन्द्र पत्नी अनिल जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
21. शिवानी पुत्री महेन्द्र पत्नी सुनील जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
22. सावित्री पत्नी गोपीराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
23. सुभाष पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
24. संतोष पुत्री गोपीराम पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
25. सुलोचना पुत्री गोपीराम पत्नी पृथ्वीराम जाति जाट साकिन बणी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
26. गंगा देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
27. तीर्थराज पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
28. देवेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
29. लाभाराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
30. भागवन्ती पुत्री हेतराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

24/06/2021  
 सहायक क्लर्क एवं  
 उप-जायकारी पीलीबंगा

31. रोशनी पुत्री हेतराम पत्नी पृथ्वी जाति जाट साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
32. भागवन्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
33. उग्रसेन पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
34. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
35. सावित्री पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
36. रणजीत पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
37. सुरजीत पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
38. जानकी पुत्री बृजलाल पत्नी हसरंज जाति जाट साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
39. कैलाश पुत्री बृजलाल पत्नी सतवीर जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
40. गणेशाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन 46 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
41. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :-

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 22/06/2021

वादी की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 13, 14, 17, 19, 25, 40 एवं प्रतिवादी संख्या 41 की ओर राजपैराकार स्टेट तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है -

क. वादी सं.1 जगदीश -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/063, प. नं. 60/341 किला नं. 6 ता 10/1.265, 11/1.126, 14-15/1.506, 20/1.127 की 2.024 हैक्. कुल 2.087 हैक्. भूमि।

ख. वादी सं.2 ख्यालीराम -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 22/026, 23/038 की 0.064 हैक्., प.नं. 60/341 किला नं. 1 ता 5/1.265, 11/1.127, 12-13/0.506, 20/1.126 की 2.024 हैक्. कुल 2.088 हैक्. भूमि।

ग. वादी सं.3 मदनलाल -

22/06/2021  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 5/11.228, 5/2/0.025 खाला, 6-15-16/759, 23/101, 25/240 की 1.353 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 19, 24, 25 की 0.759 हैक. भूमि कुल 2.112 हैक. मय खाला भूमि।

घ. वादी सं. 4, 5 जैन कुमार - जीतकुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 1/11.228, 1/2/0.025 खाला, 10-11/506, 12/126, 19-20-21/759, 22/063, 23/013, 24/013, 25/013 की 1.746 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 16/253, 17/127 की 0.380 हैक. कुल 2.126 हैक. मय खाला भूमि।

ङ. वादी सं. 6, 7 रामप्रताप - संदीप कुमार ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 2/11.228, 2/2/0.025 खाला, 3/11.228, 3/2/0.025 खाला, 8-9/506, 12/127, 13-18/506, 22/101 की 1.746 हैक. मय खाला, प.नं. 60/341 किला नं. 17/126, 18/253 की 0.379 हैक. कुल 2.125 हैक. मय खाला भूमि।

च. वादी सं. 8, 9 प्रहलाद - लेखराम ब.हि.ब. -

तहसील पीलीबंगा के चक 46 एनडीआर के प.नं. 60/339 किला नं. 4/11.228, 4/2/0.025 खाला, 7-14-17/759, 23/101, 24/240 की 1.353 हैक. मय खाला भूमि, प.नं. 60/341 किला नं. 21-22-23/759 हैक. कुल 2.112 हैक. मय खाला भूमि।

प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व उमा देवी, रायसिंह का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22/06/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार) 22/06/2021  
सहायक अधिकांक्षी सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

19612002

~~पत्रावली देखी ने की गई। वकील~~  
~~वादी छात्रिद नहीं। आवेजे~~  
~~लगाए गई। बार-बार नाम पुकारे~~  
~~जाने और आवेजे लम्बापे जाने के~~  
~~आखिर वकील वादी या वादी स्वयं~~  
~~छात्रिद वादी आवे। लिखता वाद करी~~  
~~केदम छात्रिद आदम पैरकी से रखाजे~~  
~~किया जात है। पत्रावली के सल्लुमा~~  
~~के दाखिल दफ्तर की जाती है।~~

क

19/6/2002

~~पत्रावली देखी गे- की गई। वकील~~  
~~वादी हाजिर नहीं। आवेजे~~  
~~लगाए गई। ब्या-का नाम पुकारे~~  
~~जाने और आवेजे लगाए जाने से~~  
~~बापवूट वकील वादी का वादी स्वयं~~  
~~हाजिर नहीं आवे। लिखता बाद करी~~  
~~कदम हाजरी कदम देखी से रवाना~~  
~~किया जाता है। पत्रावली के सल्लुआ~~  
~~के दारिल दफ्तर की जाती है।~~

का

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएस

मुकदमा संख्या :- 148/2019

अनवान मुकदमां -

अमृतपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एनएम ठाकरूवाला हाल गोतम कॉलोनी वार्ड न. 2 कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिर्वाया तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब।
2. सुखपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. करनेल कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. जसवीर कौर पुत्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता            | --- वादी                 |
| 2. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता         | --- प्रतिवादी सं. 1 ता 4 |
| 3. राजपैरोकार तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 6      |

-:: निर्णय :-

दिनांक -

वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347 में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि में 1.4545 है0 बतौर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबंदी सम्बत् 2074-77 ग्राम 1 लाख आरडी बतौर साक्ष्य वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। इसी प्रकार चक 12 एसटीबी ए के खाता संख्या 20/23 के प0न0 29/348 के कि0न0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.253, 20/2/0.227, 21/2/0.227, 22/0.253 है0 कुल 1.441 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता जगराज सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपने कथनों की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबंदी चक 12 एसटीबी ए सम्बत् 2072-75 वाद-पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो वाद-पत्र का आधार है।



वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 के पति श्री जगराज सिंह पुत्र इन्द्र सिंह का दिनांक 20.07.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न बाद किये गये है। स्व० श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के कुल 5 जायज वारीस है। वारीस प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न बाद की गई है।

वाद-पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में अभी भी वादी के पिता स्व० श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम दर्ज चली आ रही है। जिससे वादी के हकों पर काफी असर पड़ रहा है। इसलिए उक्त वादीधिन कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व अभिलेख में स्व० जगराज सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम कलमजान कर उनके समस्त वारीसान के नाम 1/5-1/5 हक व हिस्सा बहिब अंकन किये जाने की घोषणा करवाने हेतु वाद-पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादी के इस आशय की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे।


वादी को अपने 1/5 हक व हिस्सा की भूमि का समतलीकरण एवं सुधार करने हेतु नगद रूपयों की आवश्यकता रहती है। सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं वर्तमान में चालु है जिसका लाभ वादी को उसके हक व हिस्सा की भूमि बाबत मिल सकता है। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के 1/5 हक व हिस्सा की भूमि आज भी उनके नाम दर्ज नहीं है। इसलिए वादी इन सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रदत्त लाभ से वंचित रह रहा है। इसलिए वादी उक्त वादाधिन पैतृक कृषि भूमि में अपने 1/5 हक व हिस्सा भूमि होने की घोषणा करवाने का कानून हकदार भी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से अनेकों बार निवेदन किया कि वादाधिन पैत्रिक कृषि भूमि का मौके के भौतिक कब्जा काश्तनुसार एवं निहित बहिस्सा बराबर 1/5-1/5 हक व हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपना-अपना नाम अंकन करा लेवें। परन्तु प्रतिवादीगण किसी ना किसी बहाने से टालमटोल करते रहे और अंत में दिनांक 21.02.2019 को चक 2 एनएम ठाकरूवाला में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गए और कहा कि तुम्हे जल्दी है तो तुम अदालती चाराजोही करो। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 21.02.2019 को प्रतिवादीगण के द्वारा इन्कार पर पैदा हुआ है।

अतः वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जावे एवं जरिए डिक्री निम्नलिखित अनुतोष प्रदान कराए जावे-

वाद-पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज दोनों चकों में स्थित कृषि भूमि में स्व० श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के समस्त वारीसान के नाम बहिब 1/5-1/5 हक व हिस्सा होने की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे। एवं उसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन स्वीकार फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री दारा सिंह अधिवक्ता हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहुत मौके दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जवाब बंद किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर स्टेट जवाब पर कायम होते हुए दिनांक 21.06.2022 को हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे।

 24/06/2022

प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

**-:: आदेश ::-**

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 4 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जददी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 209 के अन्तर्गत निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-


1. वादी (अमृतपाल सिंह)-

तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी-ए के प0न0 29/348(27) के कि0न0 19/0.076(दक्षिण दिशा), 20/2/0.076( दक्षिण दिशा), 21/2/0.227, 22 की कुल 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि।

2. प्रतिवादी संख्या 1-2 ( गुरदास सिंह - सुखपाल सिंह) -

तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी-ए के प0न0 29/348(27) के कि0प0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.177 ( उत्तर दिशा), 20/2/0.151 (उत्तर दिशा) की कुल 0.809 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347(7) में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 में 1.56835 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

 24/06/2022  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएस

मुकदमा संख्या :- 148/2019

अनवान मुकदमा -

अमृतपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एनएम ठाकरूवाला हाल  
गोतम कॉलोनी वार्ड न. 2 कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिर्वीया तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब।
2. सुखपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. करनेल कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. जसवीर कौर पुत्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।।

-- प्रतिवादीगण

:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

--:: निर्णय ::-

दिनांक :-

वादी की ओर से श्री संजय चाण्डक, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री धन्नाराम सुथार, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88, 209 के अन्तर्गत निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं-


1. वादी (अमृतपाल सिंह)-  
तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी-ए के प0न0 29/348(27) के कि0न0 19/0.076(दक्षिण दिशा), 20/2/0.076( दक्षिण दिशा), 21/2/0.227, 22 की कुल 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1-2 ( गुरदास सिंह - सुखपाल सिंह) -  
तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी-ए के प0न0 29/348(27) के कि0प0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.177 ( उत्तर दिशा), 20/2/0.151 (उत्तर दिशा) की कुल 0.809 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347(7) में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 में 1.56835 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि।

24/06/2022

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक  
न्यायालय में सुनाया गया।

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

  
(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा